

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट

वित्त विभाग

नकद व भुगतान विभाग

सं. Fin/C&P/2638

दिनांक 31 दिसंबर 2012

विषय :

SECY(I/C)/DMD/TM/CVO/CHE/CE/CMO/CME/LA/LM(I/C)LA&IRO(I/C)/CMM(I/C)/DPR(I/C)

विषय : बैंक ट्रैनेक्शन सिस्टम (सीटीएस-2010) का लागूकरण

उक्त के साथ संबंध में इस कार्यालय पत्र सं. **Fin/C&P/2518** दिनांक 12 दिसंबर 2012 के अधिक्रमण में, कृपया यह ध्यान दें कि भारतीय रिजर्व बैंक 31 मार्च 2013 के गैर-सीटीएस'2010 तक के बैंक को स्वीकारने के समय का विस्तार करने का निर्णय ले चुका है। अतः गैर-सीटीएस'2010 बैंक 26 मार्च 2013 तक स्वीकार किए जाएंगे और विचार किया जाएगा, जिन बैंक को सामान्यतः दो-तीन दिन क्लीयर होने में लगते हैं।

सभी संबंधितों से उक्त नोट पर कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी